जी.सी.मितल और के.एस.भल्ला न्यायमूर्ति के समक्ष राजिंदर प्रसाद,-याचिकाकर्ता बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और अन्य, -प्रतिवादी। सिविल रिट याचिका संख्या 6864, 1986। 21 सितम्बर 1988.

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV)— धारा 10 और 11-ए- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—कर्मचारियों को कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया—श्रम न्यायालय के समक्ष कदाचार साबित हुआ—श्रम न्यायालय बहाली के बदले मुआवजा दे रहा है—कर्मचारी पुरस्कार के अनुसार मुआवजा स्वीकार कर रहे हैं—पुरस्कार लागू किया गया—कर्मचारी, क्या पुरस्कार को चुनौती दे सकता है और बहाली की राहत का दावा कर सकता है

माना गया कि जहां कामगार ने पूरी तरह से पुरस्कार के प्रति समर्पण कर दिया है, और वह लागू हो गया है, वह अब इस याचिका के माध्यम से उस पर हमला करने में सक्षम नहीं है और वह भी दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद। वह संभवतः पुरस्कार के तहत उसे दिए गए लाभ का लाभ नहीं उठा सकता है और साथ ही इसके संचालन को चुनौती भी नहीं दे सकता है, जहां तक यह उसके खिलाफ काम करता है। (पैरा 4).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहतें प्रदान की जाएं: -

- (i) कि मामले के रिकॉर्ड प्रतिवादी नंबर 1 से मंगवाए जाएं।
- (ii) और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद श्रम न्यायालय के अनुबंध 'पी/6' के विवादित फैसले को रद्द करते हुए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जाए और प्रतिवादी संख्या को एक

निर्देश जारी किया जाए। धारा याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश देने के लिए।

- (iii) अनुलग्नक 'पी/1 से 'पी/6' की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है;
- (iv) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्त किया जाए:

और

(v) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील यू.एस. साहनी।

प्रतिवादियों की ओर से आर.एस.मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता, और पी.एस.बाजवा अधिवक्ता

निर्णय

के.एस. भल्ला, जे

- 1. इस रिट याचिका में एक संक्षिप्त बिंदु यह निर्धारित करने की मांग करता है कि क्या कोई व्यक्ति श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के तहत लाभ लेने के बाद, मौद्रिक मुआवजा स्वीकार करके, समग्र रूप से उक्त पुरस्कार को चुनौती देने का हकदार है। उपयुक्त समय की समाप्ति के बाद ?
- 2. मामले के प्रासंगिक तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। याचिकाकर्ता राजिंदर पार्षद मैसर्स मोहन स्पिनिंग मिल्स, रोहतक के साथ हेड डॉफ़र नियुक्त थे प्रतिवादी संख्या 2, जून, 1967 से। उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, 31 अगस्त, 1984 के विस्तृत आदेश के अनुसार। प्रबंधन के अनुसार उन्होंने एक बड़ा कदाचार किया था जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल में बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता हुई थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे उत्पीड़न के माध्यम से गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। उनकी ओर से आगे तर्क दिया गया कि वह काँटन टेक्सटाइल

वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव बन गए थे। अपनी सेवाओं की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंधन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक मांग नोटिस दिया। इसे स्वीकार नहीं किए जाने पर, विवाद को धारा 10 (एल) (सी) के तहत श्रम न्यायालय रोहतक में भेजा गया था।) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के निर्णय के लिए कि क्या श्री राजिंदर पार्षद की सेवाओं की समाप्ति उचित थी। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रोहतक ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद, अपने फैसले दिनांक 29 जुलाई, 1986 (अनुलग्नक पी-6) के तहत माना कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, प्रबंधन पूरी तरह से उचित नहीं था। याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने से पहले उसके खिलाफ घरेलू जांच की जाए और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता 30 अगस्त, 1984 को हड़ताल के दौरान बड़े कदाचार में शामिल था। नतीजतन, याचिकाकर्ता की बहाली नहीं हुई आदेश दिया गया, हालांकि कठिनाई को कम करने के लिए उन्हें रुपये की राशि का पुरस्कार दिया गया। अनुकंपा के आधार पर मुआवजे के रूप में 7,000 रु. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता राजिंदर पार्षद द्वारा श्रम न्यायालय, रोहतक के फैसले की आलोचना की गई है और सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का आदेश मांगा गया है।

- 3. मामले के गुण-दोष पर जाने से पहले, प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से एक प्रारंभिक आपित उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने 16 अक्टूबर, 1986 को उसके दावे और निष्पादित रसीद प्रदर्शनी आर2/1 के पूर्ण और अंतिम निपटान में अनुकंपा के आधार पर मुआवजे के रूप में 7,006 का पुरस्कार दिया गया और उक्त कारण से याचिकाकर्ता ने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है और अब टीएनई के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका से इसे चुनौती नहीं दे सकता है।.
- 4. प्रबंधन की ओर से 1 प्रारंभिक आपित5-एड में एफबीईसी को बल दिया गया है। श्रम न्यायालय द्वारा 29 जुलाई, 1986 को अवार्ड अनुबंध पी-0 दिया गया और इसे 23 सितंबर, 1986 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 16 अक्टूबर, 1986 को इसके प्रकाशन के एक महीने के भीतर, मुआवजे की राशि प्राप्त हो गई। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त तिथि की प्राप्ति के अनुसार अनुलग्नक आर2/1 जो निम्नानुसार है:-
 - "23 सितंबर, 1986 को हरियाणा सरकार के राजपत्र के पृष्ठ 2629 पर प्रकाशित श्रम न्यायालय के दिनांक 29 जुलाई, 1986 के फैसले के अनुसार, मुझे 7,000,रुपये की राशि

-चेक नंबर 108169, दिनांक 16 अक्टूबर, 1986, रोहतक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रोहतक द्वारा प्राप्त हुई है। । पुरस्कार पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

राजिंदर पार्षद, 16 अक्टूबर, 1986।

इस दस्तावेज़ का अंतिम वाक्य यानी रसीद मामले को ख़त्म कर देता है और विवाद का पूरा विषय ख़त्म हो जाता है। इसके आलोक में, जब याचिकाकर्ता पूरी तरह से पुरस्कार के प्रति समर्पित हो गया, तो वह इस याचिका के माध्यम से उस पर हमला करने में सक्षम नहीं है और वह भी 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद। वह संभवतः पुरस्कार के तहत उसे दिए गए राहत का लाभ नहीं उठा सकता है और साथ ही इसके संचालन को चुनौती भी नहीं दे सकता है क्योंकि यह उसके खिलाफ काम करता है। हमारे इस निष्कर्ष को जयंत नाथ मजूमदार बनाम पिश्वम बंगाल राज्य(1) (1) से समर्थन मिलता है, जिसमें यह माना गया है कि जहां कामगार जिसकी सेवाएं नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दी गई थीं और उसे निर्देश देने के बजाय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान की गई थी। पुनर्बहाली में, मौद्रिक मुआवजा स्वीकार करके पुरस्कार के तहत लाभ लेने के बाद, श्रमिक बाद के चरण में पुरस्कार को चुनौती नहीं दे सकता, भले ही यह माना जाता हो कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था। उसमें यह भी देखा गया कि कामगार किसी भी राहत का ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए उनके द्वारा दायर रिट याचिका में हकदार नहीं था

इस प्रकार याचिकाकर्ता अपने आचरण से पुरस्कार पर हमला करने से वंचित हो गया है, और हम मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।

5. परिणाम यह है कि प्रारंभिक आपत्ति मान्य है और हाथ में रिट याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन लागत के लिए कोई पुराना भुगतान किए बिना।

आरएनआर

^{(1) 1986} एल.आई.सी. 1399.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रिंस कुमार प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी